विज्ञ० - 01

EmailID:dmgarhwal@gmail.com

I/c DRC

19/3/22

21/3/22

प्रेषक,

जिलाधिकारी
गढ़वाल।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद
उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या– 65 /रीड़र–(10/2294)–2022 दिनांक 11 मार्च 2021

विषयः– **उ0प्र0ज0वि0अधि0 1950 की धारा 143 में पारित आदेशों का अवैध सहारा लेकर अनुसूचित जनजाति (बोक्सा) की भूमि का भू–माफियाओं द्वारा अवैध क्रय–विक्रय के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया परिषद के पत्र संख्या–4587/पांच– /2021–22 दिनांक 19 जनवरी 2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा श्री मनोज बलूनी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद बलूनी, निवासी जौनपुर कोटद्वार, जनपद गढ़वाल का शिकायती प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को नियमानुसार जांच कर जांच आख्या एक सप्ताह भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश प्राप्त हुये है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी पर असिसटेन्ट कलेक्टर, कोटद्वार के उ0प्र0ज0वि0अधि0 1950 की धारा 143 में पारित आदेशों का उल्लंघन किये जाने के कतिपय आरोप अंकित किये गये है।

उक्त शिकायती पत्र पर उपजिलाधिकारी कोटद्वार से जांच करवायी गयी। उपजिलाधिकारी कोटद्वार ने अपने पत्र संख्या–939/आर0सी0/जांच/2021–22 दिनांक 08 मार्च 2022 से अवगत कराया है कि ग्राम हल्दूखाता मल्ला, पट्टी हल्दूखाता, तहसील कोटद्वार के भू–अभिलेखों के अनुसार खाता खतौनी संख्या–29 के खेत संख्या–17 रक्बा 1.465 है0 भूमि मध्ये 0.384 है0 भूमि श्री कीरत सिंह पुत्र सुमरा सिंह के नाम भूमिधरी भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है। खातेदार कीरत सिंह पुत्र सुमरासिंह द्वारा राजस्व वाद संख्या–557/20–21 व राजस्व वाद संख्या–550/20–21 अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0भू0सु0अधि0 के अपने हक अंश की सम्पूर्ण भूमि 0.384 है0 अकृषक घोषित की गयी है।

श्री कीरत सिंह पुत्र सुमरा सिंह द्वारा सम्पूर्ण हक अंश 0.384 है0 भूमि अकृषक करने के उपरान्त संलग्न लेखपत्रों के अनुसार दिनांक 16–10–2021 को विनोद कुमार पुत्र मूलचंद को 0.033 है0 विनोद कुमार एण्ड सन्स 0.032 है0, मनु गर्ग पुत्र विनोद कुमार 0.031 है0, आभा गर्ग पत्नी मनु गर्ग 0.032 है0, व मधु गर्ग पत्नी विनोद कुमार 0.032 है0, मनु गर्ग एण्ड सन्स 0.032 है0, आभा गर्ग पत्नी मनु गर्ग 0.032 है0, मधु गर्ग पत्नी विनोद कुमार 0.032 है0,आभा गर्ग पत्नी मनु गर्ग 0.032 है0 व मधु गर्ग पत्नी विनोद कुमार 0.031 है0 निवासीगण गोविन्दनगर काशीरामपुर कोटद्वार के हक में बयनामा सब रजिस्ट्रार कार्यालय कोटद्वार में निष्पादित किये गये है। इसके अतिरिक्त श्री चरण सिंह पुत्र कालू सिंह द्वारा 0.064 है0 भूमि मनुगर्ग पुत्र विनोद कुमार व सौरभ चौहान पुत्र सत्येन्द्र निवासी ग्राम काशीरामपुर कोटद्वार के पक्ष में ग्राम हल्दूखाता के खाता संख्या–0.064 में भूमि विक्रय कर लेखपत्र निष्पादित किया गया है।

भूमि विक्रेता खातेदार कीरत सिंह पुत्र सुमरासिंह व चरण सिंह पुत्र कालू सिंह अनुसूचित जनजाति "बोक्सा" जाति के है, जबकि समस्त क्रेतागण सामान्य जाति के है। दिनांक 16–10–2021 को निष्पादित किये गये समस्त 11 (ग्यारह) लेखपत्र सब रजिस्ट्रार

–2–

RTI के अन्तर्गत
प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय राजस्व परिषद
उत्तराखण्ड, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

विज्ञ० 01/1

कार्यालय कोटद्वार में निष्पादित किये गये है। भू–अभिलेखों के अनुसार उपरोक्त निष्पादित किये गये लेखपत्रों पर नामान्तरण की कार्यवाही नहीं की गयी है। नामान्तरण सम्बन्धित भू–अभिलेखों में दर्ज नहीं है।

उपजिलाधिकारी कोटद्वार की आख्या से स्पष्ट है कि विक्रेता खातेदार कीरत सिंह पुत्र सुगरासिंह व चरण सिंह पुत्र कालू सिंह अनुसूचित जनजाति "बोक्सा" जाति के है, जिनके द्वारा उक्त वर्णित भूमि सामान्य जाति के केताओं को विक्रय की गयी है। निष्पादित किये गये 11 लेखपत्रों का निष्पादन सब रजिस्ट्रार कार्यालय कोटद्वार में किया गया है। जिनका नामान्तरण भू–अभिलेखों में दर्ज नहीं है। अतः उक्तानुसार आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्न– उक्त

भवदीय

11/3

(विजय कुमार जोगदण्डे)
जिलाधिकारी गढ़वाल।

प्रतिलिपि– आयुक्त महोदय, गढ़वाल मण्डल पौड़ी को पत्र संख्या–456 / एसपीए–2021 दिनांक 27 दिसम्बर 2021 के अनुपालन में सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विजय कुमार जोगदण्डे)
जिलाधिकारी गढ़वाल।

R.T.I के
अन्तर्गत प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय नजरत परिषद
उत्तराखण्ड, देहरादून

महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता / समयवद्ध

विद्यु० ०१/२

उत्तराखण्ड सरकार

राजस्व परिषद उत्तराखण्ड देहरादून

मसूरी बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून–248001
email-crc.ddn@gmail.com,boardofrevenue-uk@gov.in phone:0135-2669415Fax:0135-669384

संख्या–4587 / पॉच– (2021–22) दिनांक, 19 जनवरी, 2022

सेवामें,

जिला अधिकारी
पौडी।

विषयः– **तहसील कोटद्वार पौडी गढ़वाल में न्यायालय अपर आयुक्त पौडी गढ़वाल के यू0के0 / यू0पी0 जेड0ए0एल0आर0 एक्ट की धारा–143 में किये गये आदेशों का अवैध सहारा लेकर अनुसूचित जनजाति(बोक्सा) की भूमि का भू–माफियाओं द्वारा अवैध कय–विकय के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आवेदक / शिकायतकर्ता श्री मनोज बलूनी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद बलूनी, निवासी जौनपुर, कोटद्वार, जिला पौडी गढ़वाल का शिकायती पत्र दिनांक, 21.12.2021 जो दिनांक, 21.12.2021 को परिषद में प्राप्त हुआ है। जिसमें उनके द्वारा विषयगत प्रकरण में यह 08 बिन्दुये अवधारित करते हुए तहसील कोटद्वार पौडी गढ़वाल में न्यायालय अपर आयुक्त पौडी गढ़वाल के यू0के0 / यू0पी0जेडएएलआर की धारा–143 के उक्त आदेशों का अवैध सहारा लेकर अनुसूचित जनजाति(बोक्सा) व्यक्तियों की भूमि का भू–माफियों द्वारा अवैध व गैरकानूनी कय विकय रोका जाने का उल्लेख करते हुए अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को भूमि की कय–विकय की परिपाटी सी चल जायेगी तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्यि भूमिहीन हो जायेगे, जिसके कम में उनके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में उचित कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–मेमो / 7–भूलेख / 2021–22, दिनांक, 24 दिसम्बर 2021 द्वारा उप जिलाधिकारी कोटद्वार की आख्या परिषद को उपलब्ध कराई गयी है, जिसमें वाद संख्या–42 / 2021–22 वादी चन्द्रशेखर बनाम सहखातेदार धारा–143 के आदेश की प्रति संलग्न की गयी है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपका उक्त पत्र इस आशय से प्रत्यावर्तित करते हुए अनुरोध करना है कि आवेदक श्री मनोज बलूनी के संलग्न शिकायती पत्र दिनांक, 21.12.2021 में उल्लिखित किये गये बिन्दुओं पर स्पष्ट जांच करते हुए स्पष्ट जांच आख्या एक सप्ताह के भीतर परिषद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

R.T.I के अन्तर्गत
प्रमाणित प्रति।

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय राजस्व परिषद
उत्तराखण्ड, देहरादून

भवदीय
19/1/22
(देवानन्द)
प्र0 उप राजस्व आयुक्त(भू0व्य0)
राजस्व परिषद।

Scanned with OKEN Scanner